जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 208 प्रभात अजमेर, बुधवार 26 फरवरी, 2025 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'अगला महाकुंभ यमुना व गंगा की रेतीली बालू पर होगा?'

लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने चेतावनी दी

- वांगचुक के अनुसार, जिस तीव्रता से ''ग्लेशियर'' (हिम गंगा) पिघल रहे हैं, हमारी दोनों पवित्र नदियाँ, गंगा व यमुना सूख जायेंगी, क्योंकि हिमालय से निकले इन ग्लेशियर से ही दोनों नदियों का उद्गम होता है।
- वांगचुक ने प्र.मंत्री को लिखे खुले पत्र में यह भी लिखा है कि, हिमालय पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बर्फ (आइस व स्नो) का भण्डार है, आर्कटिक व अटार्कटिक के बाद। अतः भारत को विशेष ध्यान देना चाहिये, ग्लेशियर के लुप्त होने की आशंका पर।
- वांगचुक ने हाल ही में यू.एन.ओ. के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय को ग्लेशियर की तीव्र गति से पिघलने की स्थिति पर संबोधित किया था तथा उनके भाषण के दौरान लद्दाख के खार्दुंग ला क्षेत्र से लाया गया ग्लेशियर की बर्फ का टुकड़ा भी स्टेज पर रखा गया था। यह जताने के लिये कि कैसे भाषण के दौरान भी ग्लेशियर की बर्फ का पिघलना उसी तीव्र गति से जारी है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 फरवरी। अमेरिका के टूर से लौटे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने चेतावनी दी है कि अगर पिघलते ग्लेशियर को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो अगला कुंभ रेत पर होगा, क्योंकि नदियाँ सूख चुकी होंगी। सोनम अमेरिका यात्रा के दौरान वांगचुक अपने साथ लद्दाख के एक ग्लेशियर के बर्फ का टुकड़ा ले गए थे।

प्रधानमंत्री को लिखे खुले पत्र में लद्दाख के इस क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने आग्रह किया है कि इस मसले पर भारत को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

वांगचुक ने दिल्ली में एक प्रैस कॉन्फ्रैंस कर लोगों का ध्यान स्थिति की गंभीरता की ओर खींचने की कोशिश की और कहा, अगर ग्लेशियर्स का संरक्षण नहीं किया तो हमारी वार्षिक नदियाँ सूख जाएंगी और 144 साल बाद अगला कुंभ रेत पर आयोजित होगा।

डॉनल्ड ट्रम्प ने इंटरनैशनल अकॉर्ड ऑन क्लाइमेट चेन्ज से अमेरिका को हटा लिया है। ऐसे में उम्मीद है कि मोदी अग्रणी भूमिका निभाएंगें और पिघलते ग्लेशियर्स के खतरे पर विश्व जनमत निर्माण करेंगे।

वांगचुक, जोकि हिमालय के ग्लेशियर्स के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, हाल ही में लद्दाख से दिल्ली आए और फिर वहाँ से अमेरिका गए। वे अपने साथ खार्दुंग ला के ग्लेशियर की बर्फ का टुकड़ा भी ले गए। यह टुकड़ा एक कंटेनर में पश्मीना ऊन में लपेट कर रखा गया था।

यह बर्फ पहले दिल्ली के यू.एन. कार्यालय ले जायी जा रही है। इसके बाद वांगचुक बर्फ के साथ बॉस्टन के एन.आई.टी. में हॉवर्ड कैनेडी स्कूल गए और न्यूयॉर्क के यू.एन. मुख्यालय गए। 21 फरवरी को यह बर्फ हडसन नदी और ईस्ट रिवर में प्रवाहित कर दी गयी। इसके ठीक एक माह बाद 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है।

वांगचुक जब ग्लेशियर पर बोल रहे थे तब उनके पास रखी ग्लेशियर की बर्फ पिघल रही थी, जो संकेत था कि वार्ताएं चल रही हैं और ग्लेशियर पिघल रहे हैं।

भारत में वांगचुक ने बताया कि खार्दुंग ला के ग्लेशियर से बर्फ को लेने के लिए कुछ किलोमीटर चलना पड़ा। खार्दुंग ला लेह, इससे 5.359 मीटर ऊंचाई पर है और विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, जहाँ से मोटर गुज़र सकती है।

वांगचुक ने कहा, वर्ष दर वर्ष ग्लेशियर में बर्फ कम हो रही है, पर एक्शन नहीं हो रहा है।

वांगचुक ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि ग्लेशियर्स संरक्षण वर्ष में प्रधानमंत्री को ग्लेशियर संरक्षण के लिए अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आर्कटिक व अटार्कटिक के बाद सबसे ज्यादा बर्फ हिमालय में है तथा इसकी वजह से उसे ''तीसरा ध्रुव'' भी कहा जाता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने एनएचएआई से अतिक्रमण हटाने की तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगी

- हाई कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट 18 मार्च तक पेश कर दी जाए। एनएचएआई ने जयपुर, अजमेर हाईवे से 338 में से 105 अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी।

जयपुर, 25 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण और ट्रैफिक जाम को लेकर दिए गए निर्देशों की मॉनिटरिंग करने की मंशा जताई है। वहीं, एनएचएआई की ओर से अदालत को मौके से एक तिहाई अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी। इस पर अदालत ने एनएचएआई को 18 मार्च को अतिक्रमण हटाने की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश रायचंद चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, एनएचएआई की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर बगरू तक कुल 338 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 105 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। एनएचएआई की ओर से अतिक्रमण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्टालिन ने एक और राजनीतिक बम फोड़ा!

स्टालिन के अनुसार, ''डीलिमिटेशन'' की साजिश से उत्तर भारत, दक्षिण की सीटें कम करना चाहता है संसद में

- जैसा कि विदित ही है, जनसंख्या के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि किस राज्य में कितनी संसदीय सीटें होंगी। अतः स्टालिन के अनुसार, 2026 की जनगणना के बाद, जब हर राज्य की संसदीय सीटों की संख्या निर्धारित होगी, तमिलनाडु की आठ लोकसभा सीटें कम हो जायेंगी तथा उत्तर भारत के प्रदेशों, मुख्यतया बिहार व यू.पी. की, लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी।
- यह स्थिति, दक्षिण भारत के पाँच राज्यों की होगी। अतः स्टालिन ने 5 मार्च को दक्षिण भारत के पाँचों राज्यों के नेताओं की बैठक बुलाई है।
- स्टालिन का नारा है, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों ने सख्ती से परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किये, उसकी जनसंख्या में बढ़ोतरी कम हुई है। दक्षिण भारत के इन राज्यों की इस बात का पारितोषिक मिलना चाहिए या दण्ड।
- स्टालिन का मानना है कि हिन्दी थोपने के आरोप के बाद, संसदीय सीटों की संख्या घटना, दक्षिण भारत में भावनाएं उभारने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 फरवरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तथा द्रमुक के मुखिया एम.के. स्टालिन परिसीमन (डीलिमिटेडशन), जिसके कारण राज्य की संसदीय सीटें कम हो जायेंगी, के खतरे को एक बड़े राजनैतिक मुद्दे का रुप दे रहे हैं तथा उन्होंने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुये, 5 मार्च को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, ताकि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की जा सके।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाने की घोषणा के बाद चेन्नई में कहा कि लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन का मुद्दा दक्षिणी राज्यों के ऊपर तलवार की तरह लटका हुआ है।

2026 में जनगणना का काम पूरा हो जाने के बाद परिसीमन कवायद हाथ में ली जायेगी तथा लोकसभा क्षेत्रों का सीमा-निर्धारण नये सिरे से किया जा सके।

पक्की बात है कि परिसीमन का मुद्दा राज्य में एक-एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है तथा राज्य ने इसके पीछे की पूरी कहानी गढ ली है। तमिलनाडु का कहना है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार यह काम इसलिए करना चाहती है ताकि जनसंख्या के मोर्चे पर अच्छा परिणाम देने वाले राज्यों, जिनमें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार सदन नहीं चलाना चाहती -पायलट

विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर धरना दे रहे कांग्रेस विधायकों को पायलट ने संबोधित किया

- पायलट ने यह भी कहा कि हमारे तीन -तीन नेताओं ने घटना पर खेद प्रकट कर दिया पर जब उनके मंत्री के खेद प्रकट करने की बारी आई तो उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया।
- मंगलवार को जब निलम्बित कांग्रेस विधायक विधानसभा पहुंचे तो उन्हें विधानसभा के गेट पर ही रोक दिया गया इस पर कांग्रेस के विधायक पश्चिमी द्वार पर धरने पर बैठ गए।
- धरने में सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मु.मंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे।

जयपुर, 25 फरवरी। विधानसभा में चल रहा गतिरोध मंगलवार को भी बना रहा। विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन और धरना दिया। धरना स्थल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि सरकार खुद ही सदन चलाना नहीं चाहती है। गोविंद सिंह डोटासरा सहित हमारे तीन -तीन नेताओं ने पूरी घटना पर खेद प्रकट कर दिया था, लेकिन जब मंत्री के खेद प्रकट करने की बारी आई तो उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया। हमारी मांग इतनी ही थी कि यह बात कार्यवाही से निकाली जाए और मंत्री माफी मांगें। पायलट ने कहा, किसने क्या कहा और क्या किया, यह मुद्दा नहीं है।

धरना स्थल पर सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मु.मंत्री अशोक गहलोत सहित सभी विधायक मौजूद थे।

इस धरने के दौरान, कांग्रेस नेताओं ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चेतावनी दे डाली। इससे पहले मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के तमाम विधायक विधानसभा पहुंचे, लेकिन निलंबित विधायकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के चलते कोई भी कांग्रेस का विधायक विधानसभा में नहीं गया। ऐसे में विधानसभा के पश्चिमी द्वार के बाहर सभी विधायक धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दीं

- मुख्यमंत्री ने कहा, यह पर्व हमें लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है।

जयपुर, 25 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि का यह पर्व हमें लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव परम तपस्वी एवं ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा योग साधना के शीर्षदेव हैं। उनकी आराधना से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की सहज प्राप्ति होती है। शर्मा ने कहा कि शिव हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अविचल रहने की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री ने इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों का आ ान किया कि हम अपने भीतर सत्य व ज्ञान को आत्मसात कर प्राणीमात्र के कल्याण का संकल्प लें।

कांग्रेस ला सकती है विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

डोटासरा ने सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की चेतावनी भी दी

- डोटासरा ने कहा कि स्पीकर ने सदन की प्रक्रिया के दौरान विधानसभा में सदन के बाहर तक आने की अनुमति दी थी, पर, सुरक्षाकर्मी विधानसभा के गेट पर ही हमारे विधायकों को रोक रहे हैं, यह विधायकों के विशेषाधिकार का हनन है।
- डोटासरा ने कहा, बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार के मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर जो टिप्पणी की, उसे कार्यवाही से हटाया जाए, मंत्री खेद प्रकट करें और कांग्रेसी विधायकों का निलम्बन रद्द हो।

जयपुर, 25 फरवरी। राजस्थान विधानसभा में 5 दिन से चल रहा गतिरोध और तेज होता दिख रहा है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और सुरक्षा कर्मियों व पुलिस के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस विधायकों के धरने में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले फोन टैपिंग के आरोपों से घिरी सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष का भाषण नहीं होने दिया। आज भी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से आरोपी की तरह बर्ताव किया जा रहा है, जबकि डोटासरा सहित अन्य नेताओं ने पूरे घटनाक्रम पर खेद प्रकट कर दिया। इसके बाद भी मंत्री ने माफी नहीं मांगी। यह दर्शाता है कि सरकार सदन चलाने की इच्छुक नहीं है।

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्पीकर ने निलंबित विधायकों को विधानसभा में सदन से बाहर तक आने की अनुमति सदन की प्रक्रिया के दौरान दी थी, लेकिन अब उन्हें विधानसभा के गेट पर ही रोका जा रहा है। यह विधायकों के विशेषाधिकार का हनन है। अगर स्पीकर के इशारे पर यह सब हो रहा है तो हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा करेंगे। सुरक्षाकर्मियों और अन्य अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने पर भी विचार किया जा रहा है।

डोटासरा ने कहा कि विपक्ष सदन चलाना चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष हठधर्मिता अपनाते हुए जिस तरह का माहौल खराब कर रहा है, वो ठीक बात नहीं। डोटासरा ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जो कहा, वो सरासर गलत है। विधानसभा अध्यक्ष से हमारी किसी भी तरह की व्यक्तिगत माफी मांगने की बात नहीं हुई। सत्ता पक्ष खुद ही अंतर्कलह में उलझा हुआ है। आपसी गुटबाजी के बीच ये खुद नहीं चाहते कि सदन की कार्यवाही चले। सदन में गतिरोध सत्ता पक्ष की आपसी गुटबाजी की वजह से है और जिम्मेदारी हम पर थोप रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, कोई गाजर मूली नहीं, जो कोई भी आकर काट देगा। सत्ता पक्ष अपनी नूरा कुश्ती में प्रदेश की जनता का नुकसान कर रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार के मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर जो अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया, उसे सदन की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव अदालत में तलब

- दिल्ली की एक अदालत ने लालू सहित सभी आरोपियों को तलब किया है। इसमें लालू के दोनों बेटे तेजस्वी, तेज प्रताप और बेटी हेमा यादव भी शामिल हैं।

नई दिल्ली, 25 फरवरी। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व केन्द्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में तलब किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को भी तलब किया है।

न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी नए समन जारी किए हैं। आरोपियों को 11 मार्च को अदालत में पेश होने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मस्क की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भेजी गई ई-मेल से ''अराजकता'' का माहौल बना

ई-मेल के अनुसार, सभी फैडरल गवरमैंट कर्मचारियों को पाँच ''बुलेट पॉइन्ट्स'' लिख कर भेजने हैं, जिसमें साफ लिखना होगा कि, गत एक सप्ताह में क्या-क्या किया है

- ई-मेल में यह धमकी भी है कि अगर किसी कर्मचारी ने जवाब नहीं भेजे तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है।
- अमेरिका की ट्रेड यूनियन्स व लेबर यूनियन इस मुद्दे पर लामबंद हो रही हैं कि वे अपने पदों से इस्तीफा नहीं देंगे।
- ई-मेल में यह स्पष्ट नहीं है कि अगर पद से इस्तीफा देने के मुद्दे पर सरकार व कर्मचारियों में टकराहट की स्थिति बनी तो इसका निराकरण क्या व कैसे होगा।
- हालांकि, ट्रंप ने मस्क की ई-मेल का पूर्ण समर्थन किया है। पर, अधिकतर ट्रंप सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों ने, जैसे एफ.बी.आई., पैंटागन, नासा, विदेश मंत्रालय आदि ने अपने कर्मचारियों को सलाह दी है कि इस ई-मेल को ''इगनोर'' करें, अगर जरूरत पड़ी तो ये विभाग ही अपनी ओर से सरकार को जवाब देंगे।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 फरवरी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिखर रहा है और इसमें डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल का योगदान है।

यू.एस. फैडरल गवरमैंट के कर्मचारियों को एलन मस्क द्वारा भेजे गए एक ई-मेल ने देश भर में उथल-पुथल मचा दी है। मस्क के ई-मेल में सरकारी कर्मचारियों से कहा गया है कि पांच बुलैट पॉइन्ट्स में वो यह बताएं कि पिछले एक सप्ताह में उन्होंने क्या किया है। ई-मेल में सोमवार तक जवाब देने की समय सीमा निर्धारित की गई, और कहा गया कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।

यह मेल यू.एस. फैडरल गवरमैंट के पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस के माध्यम से मस्क के नाम पर भेजी गई है। ट्रम्प ने तुरंत मस्क की मेल की सराहना की और उसका समर्थन किया। हालांकि, स्वयं ट्रम्प के कुछ विभागों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया।

सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने ई-मेल और तत्काल नौकरी से हटाने की इसकी धमकी परे तिरस्कार व उपेक्षा पूर्ण प्रतिक्रिया दी।

अमेरिकी संघीय सरकार के अधिकांश महत्वपूर्ण विभागों ने इस मेल का पालन करने से स्पष्ट रुप से इन्कार कर दिया है और अपने कर्मचारियों से यह भी कहा है कि वे जवाब न दें। कुछ विभागों ने यह संकेत दिया कि उनके जवाब आंतरिक रूप से संबंधित विभागों को भेजे जा सकते हैं। ये मस्क की मेल को चुनौती दे रहे हैं।

प्रमुख ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन अपने आप को संगठित कर रहे हैं। मेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और श्रमिक कह रहे हैं ''हम इस्तीफा नहीं देंगे''। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यदि कोई टकराव हुआ तो ईमेल आदेश की कानूनी वैधता क्या होगी।

हालांकि, डॉनल्ड ट्रम्प ने यह संकेत दिया था कि जो लोग पांच बुलेट प्वाइंट्स के साथ ई-मेल का जवाब नहीं देंगे, उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इससे अमेरिका सरकारी विभागों में ''उथल-पुथल'' की स्थिति उत्पन्न हो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

परकोटे में बने 19 अवैध भवन तत्काल सील किए जाएं

- राजस्थान हाई कोर्ट ने आवासीय इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियों के मामले पर सख्त रुख दर्शाया तथा 11 मार्च को पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा।

जयपुर, 25 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने परकोटे के आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सख्ती बरतते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पूरी तरह से अवैध चिन्हित किए 19 भवनों को तत्काल सील करे। अदालत ने इसकी पालना रिपोर्ट 11 मार्च 2025 को पेश करने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश हल्दियों के रास्ते के आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)